2/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी डॉ. गुंजन सोनी आर.ए.एस.)

प्र0 सं0 02/2018

1. सुलतान पुत्र सफी मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स0 14 फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम्

1. लियाकत अली पुत्र ज्यान मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 39 नियम 2 ए–जाब्ता दीवानी

उपस्थितः– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता, प्रार्थी

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक : 20.07.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

1. अप्रार्थीगण स0 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कथन किया गया कि चक न0 1 जेएसएन में अप्रार्थी की भूमि है उक्त भूमि में आवागमन का रास्ता स्वीकृत है जो पत्थर न0 364/364 के मु0न0 37 के किला न0 5,6,15,16,25 में बन्द कर रखा है। जिससे खेत में आवागमन नहीं हो रहा है तथा भारी परेशानी हो रही है। उक्त मंजुर शुदा रास्ता खुलवाने का निवेदन किया प्रार्थी/रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण राज0 काश्तकारी अधिनिय सन् 1955 की धारा 251 के तहत् दर्ज रजि0 किया जाकर पटवारी हल्का से रिकार्ड एवं मौका रिपोर्ट प्राप्त की। पटवारी हल्का के द्वारा चक न0 1 जेएसएन के खाता स0 160 में प0न0 365/363 के मु0न0 19 व पत्थर न0 364/363 के मु0न0 20 के किला न0 1.958 हैक्अ बारानी भूमि श्याकर अली, लियाकत अली पि0 ज्यान मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी फेफाना के नाम रिकार्ड में दर्ज होना बताया तथा प्रार्थी द्वारा प0न0 364/364 के मु0न0 37 के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Web Copy - Not Official

किला न0 5,6,15,16,25 में रास्ता चाहा जो वर्तमान जमाबंदी के खात स0 43/46 मे प0 न0 364/364 के मु0न0 37 के किला न0 6, 5 में 2–2 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। जगदीश, महेन्द्र पि0 रूपराम जाति जाट निवासी फेफाना के खातेदार के खाते मे दर्ज है। खाता स0 7/6 में प0न0 364/364 के मु0न0 37 के किला न0 15 में 2 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। अमरसिंह, हरसिंह व दुनीराम, देवीलाल पि0 हरफुल ब.हि.ब. 3/7 हिस्सा रूकमा पुत्री हरफुल 1/4 हिस्सा रूपराम पुत्र श्योकरण 1/2 हिस्सा जाति जाट निवासी फेफाना के खाते में दर्ज है। खाता स0 16/14 में 364/364 मु0न0 37 के किला न0 16,25 में 2–2 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है तथा प0 न0 364/364 के मु0न0 37 के किला न0 25 में पक्का नका बना हुआ है। किला न0 16 व 25 में कच्ची आड सिंचाई हेतु बनी हुई है। किला न0 16,6,5 में लगभग 2–2 बिस्वा भूमि खाली है इस भूमि में कई वर्षो से रास्ता चालु नहीं है। । प0 न0 364/365 पर पूर्व से पश्चिम की तरफ रास्ता चालु है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को आधार मानते हुए बिना किसी रिजनिंग व फाईडिंग के अपीलाधीन निर्णय गैर कानुनी ढंग से पारित किया गया है जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई तथा अनवानी अपील में दिनांक 23.05.2018 को अपील प्रस्तुत की गई उसी दिन न्यायलय हाजा द्वारा दिनांक 03.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना स्थगित कर दी व आदेश दिये गये कि अपीलान्ट को चक न0 1 जेएसएन के मु0न0 37 के किला न0 5,6,15,16,25 की सिंचाई करने से नही रोके उक्त स्थगन आदेश प्रार्थी अपीलांट के पा में जारी किया गया।

2. पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 05.05.2018 के अनुसार प0न0 364/364 के मु0न0 37 के किला न0 5, 6 व 15, 16, 25 में सिंचाई विभाग द्वारा भराई की सिंचाई आड पक्की सिमेंन्टेड बनी हुई है तथा किला न0 25 में सिंचाई विभाग द्वारा चैम्बर मय नक्का निर्माण किया हुआ है उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट था कि प0न0 364/364 के मु0न0 37 के किला न0 5,6,15 व 16,25 में कभी कोई रास्ता नही रहा है बल्कि हमेशा से सिंचाई होती रही है तथा अपीलांट अपने खेत में किला न0

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2/3

6,15,16,25 में से स्वीकृत शुदा पानी की आड जो कि सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित है से कभी कोई रास्ता नहीं रहा है तथा सिंचाई विभाग के नक्शा से स्पष्ट रोशन है कि प0न0 364/364 के मु0न0 37 के किला न0 1,10,11,20,21 के पश्चिम तरफ से ही लियाकत हमेशा से आवागमन करता रहा है तथा सिंचाई विभाग के नक्शा, उक्त रास्ता किला न0 1,10,11,20,21 में स्वीकृत है। एक मुरब्बा में दो दो रास्ते कानूनी तौर पर स्वीकृत नहीं किये जा सकते है तथा प0 न0 364/364 के मु0न0 37 के उत्तर में रेस्पो0 स0 1 का खेत है जो किला न0 1,10,11,20,21 के पश्चित तरफ के रास्ता से ही अप्रार्थी को आवागमन रहा है।

रोही मौजा चक 1 जेएसएन तहसील नोहर के प0 न0 364/364 के मु0न0 37 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 में सिंचाई आड नक्शा सिमेंन्टेड बना हुआ है जो सी.ए. डी. विभाग द्वारा सिद्धमुख नहरी प्रयोजन डिस्ट्रीब्यूटरी जसाना माईन कमाण्ड ऐरिया सर्वे तथा माईक्रो चैनलाईजेशन चको का प्लान किया गया है जिसमें उक्त चक प्लान तैयार सी.ए.डी. द्वारा सही तौर से तैयार किया गया है। सी.एस.डी. चक प्लान में चक न0 1 जेएसएन में प0न0 364/364 मु0न0 37 के किला न0 1,10,11,20,21 के पश्चिम तरफ रास्ता मंजुद शुदा है उसी रास्ता से रेस्पो0 स0 1 हमेशा से आवागमन करता रहा है। किला न0 5,6,15,16,25 में कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है तथा हमेशा से ही सिंचाई की पक्की आड व नक्का रहा है।

4. प्रार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश जारी होने के बाद दिनांक 133.06.2018 को करीबन 2.30 बजे प्रार्थी अपने खेत में था उसी समय लियाकत पुत्र ज्यानी जाति कुम्हार मुसलमान निवासी फेफाना व लियाकत का भाई श्याकर व लियाकत के लड़के आरिफ, मुबारिक श्यांकर के लड़के फिरोज व फारूख एवं रफीक पुत्र सुलतान जाति मुसलमान कुम्हार निवासी फेफाना मकबूल पुत्र मोहम्मदीन निवासी फेफाना व 5-6 अन्य व्यक्तियों दो गाड़ियो में सवार होकर आये व उपरोक्त सभी अभियुक्त गाड़ियों से उतरकर दोनो हाथों में लाठिया लेकर जबरदस्ती प्रार्थी के खेत में घुसकर उपरोक्त सभी मुल्जिमानों ने थाप मुक्का से मारपीट किया व गालिया निकाली मौका पर प्रार्थी के भाइ का लड़का कासम, बली मोहम्मद पुत्र गन्नी निवासी फेफाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

[redacted]

[redacted]लम, पुत्र शान मोहम्मद निवासी फेफाना व खेत पड़ौसी यूनस व काफी लोग आ गये जिन्होने बीच–बचाव कर प्रार्थी को अभियुक्त से छुड़ाया प्रार्थी के खेत में स्वीकृत शुदा खाला को लेकर विवाद है।

उक्त स्वीकृत शुदा खाला सी.एस.डी. विभाग द्वारा मंजुर शुदा हैं तका चक न0 1 जेएसएन के प0न0 364/364 मु0न0 37 के किला न0 5,6,15,16,25 में सिंचाई आड जो सीमेन्टेड बनी हुई है को अप्रार्थी व उसके आदमियों ने उक्त आड को तोड़ दिया तथा जबरिया पानी नहीं लगाने दिया जिससे प्रार्थी सिंचाई करने से वंचित हो गये है। जबकि न्यायलय हाजा द्वारा दिनांक 23.05.2018 को स्थगन आदेश इन आशयों का कर दिया गया है कि चक न0 1 जेएसएन के प0न0 364/364 मु0न0 37 के किला न0 5,6,15,16,25 में प्रार्थी को सिंचाई करने से ना रोके दिनांक 13.06.2018 को अप्रार्थी ने उक्त सिंचाई आड तोड़कर प्रार्थी को उसके खेत मे पानी नही लगाने दिया तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 23.05.2018 की अवज्ञा की है न्यायालय की मानहानी कि श्रेणी में अप्रार्थी का उक्त कृत्य आता है जिसके अप्रार्थी 3 माह के सिविल कारावास के दोषी है।

प्रार्थी के पक्ष में एफआईआर स0 276/18 व फोटो ग्राफ व चोट प्रतिवेदन विडियों क्लीप आदि व मौखिक साक्ष्य तथा स्थगन आदेश प्रार्थी के पक्ष मे है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण अपूर्णीय क्षति का प्रश्न व साम्य न्याय सिद्धान्तों प्रार्थी के पक्ष में है तथा अप्रार्थीगण कने स्थगन आदेश के जैरकार रहते प्रार्थी के खेत में बनी बनी सिमेन्टेड आड तोडी है पानी लगाने से वंचित किया है प्रार्थी की फसल नष्ट की है तथा उसे बिजाई करने से रोका है। अप्रार्थी का कृत्य न्यायालय की अवमानना की जद में आता है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को न्यायालय के द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 23.05.2018 की अवज्ञा में अप्रार्थी को 3 माह का सिविल कारावास व अर्थी दण्ड से दण्डित किया जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तलबी की गई। बहस अधिवक्ता सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का निर्णय मैरिट के आधार पर करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। मूल अपील प्रकरण संख्या 18/2018 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारीज कि जा चुकी है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 39 नियम 2–ए जाब्ता दीवानी निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल मिसल रहें।

(डॉ. [illegible])
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)